मि.स. 29-01/2023-स्थापना/आर.टी.आई. भारत सरकार कृषि एवं. किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

> कृषि विस्तार भवन आई.ए.एस.आर.आई. campus, पूसा नई दिल्ली-110012 दिनांक) 9 दिसम्बर, 2023

सेवा में

Sh. Sanjay Chaudhary Village & Post Office Kummi, Mandi-175006 (Himachal Pradesh). Email : sanjaychaudhary2928@gmail.com

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री Sanjay Chaudhary, Himachal Pradesh से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/E/23/00027 दिनांक 07-12-2023)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमे आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत है :-

क्रम स्	मांगी गई सूचना	जवाब
1.	As per the ATMA guideline 10% increment is to be given to the ATMs and BTMs after the completion of one year of service every year but in Himachal Pradesh only ATMs and BTMs who were recruited before 2019 and have been given only a one-time increment in their whole service after that no one has been given any increment why please specify.	<ul> <li>Guidelines, 2018 (vide Annexure-II(a) provides as under :- <ol> <li>An upper ceiling has been kept in Annexure-II(a) of the guidelines, issued during 2010, 2014 &amp; 2018.</li> <li>Annual increase of 10% in emoluments of contractual staff.</li> <li>State Government may pay lesser amount in order to keep parity with similarly paid employees in other Departments/Organisations.</li> <li>While fixing total emoluments to BTM/ATM at enhanced rates, emolument should not be less than total emoluments last paid to contractual</li> </ol></li></ul>
2.	In Himachal Pradesh ATMs and BTMs who have been working to date or who have worked for ATMA since 2011 are eligible for arrears, please specify.	
3.	If they are eligible for increments and arrears why they are not been paid yet.	

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है । प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है :-

डॉ शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार) विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा न॰ 204, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012 दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- <u>shailesh.mishra29@gov.in</u>

3प॰ निदेशक (प्रशासन एवं. सी.पी.आई.ओ.) दूरभाष :- 011-25846467 ई-मेल :- <u>deepa.pande65@gov.in</u>

प्रतिलिपि :-

- 1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याम विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट <u>www.krishivistar.gov.in</u> पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।